(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार का देश भर में चीनी के मूल्य में एकरूपता लाने के लिये कोई ठोस उपाय करने का विचार है जिससे कि वह उपभोक्ताओं को एक मूल्य पर उपलब्ध हो सके ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). समूचे देश में लेवी चीनी का समान मूल्य है और दिसम्बर, 1972 से यह मूल्य 2.15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चल रहा है। खुली बिक्री की चीनी का मूल्य पूर्ति और मांग के आधार पर बढ़ता घटता रहता है।

चीनी फैक्ट्रियों के उत्पादन की 65 प्रतिशत चीनी निर्धारित मूल्य पर ली जाती है जोकि उत्पादन लागत से कम होता है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का कुछ अंश निर्धारित तथा उचित दाम पर सप्लाई करना होता है। शेष 35 प्रतिशत उत्पादन को परिस्थितियों के अधीन ऊंचे मूल्यों पर बेचना होता है जिसमें खुले बाजार में पूर्ति और मांग के आधार पर उतार चढ़ाव आता रहता है।

(ग) एक समान मूल्य का अर्थ मौजूदा दोहरी मूल्य निर्धारण प्रणाली में परिवर्तन करना होगा और इसलिये इस मामले पर सावधानी से विचार करना होगा। सरकार इस मामले पर अगली बार चीनी की मूल्य निर्धारण नीति पर विचार करते समय विचार करेगी।

गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के पदों का आरक्षण

1004. **श्री मंगल देव** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम-जाति के सदस्यों के लिये पदों का कोई आरक्षण नहीं है जबकि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में ऐसी व्यवस्था विद्यमान है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाएं, दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 द्वारा शासित होती हैं। इसके अन्तर्गत निजी प्रबन्ध वाले स्कूलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये पदों का आरक्षण नहीं है।

(ख) सरकार द्वारा इसकी जांच करनी होगी।

Implementation of recommendation of National Commission on Education, 1965

1005. SHRI JYOTIRMOY BOSU: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) what steps, if any, were taken by the erstwhile Central Government and the State Governments to implement the recommendations of the National Commission on Education, 1965, in regard to primary and secondary education;

(b) positive results of the steps taken so far; and

(c) what steps, if any, are being contemplated by the Government to implement the Directive Principles of State Policy on free and compulsory education for all the school going children under the age group 6—14?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a): The major recommendations of the Education Commission in